बैंक इम्पलॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया

नरेश पॉल सेंटर
53 राधा बाजार लेन (पहली मंजिल), कोलकाता - 700 001
e-mail gsbefi@gmail.com website: www.befi.in

परिपत्र संख्या 25/2023 15 जून 2023

सभी सम्बद्ध इकाइयों, पदाधिकारियों, सीसी और जीसी सदस्यों के लिए

प्रिय साथियों,

भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा के खिलाफ प्रदर्शन

भारतीय रिज़र्व बैंक (**RBI**) ने **8** जून **2023** को वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, **NBFC**, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को ऋणों के समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ़ की रूपरेखा पर एक विज्ञप्ति जारी किया है। नीतिगत ढांचे में 'सिस्टम में तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के साथ-साथ सभी विनियमित संस्थाओं में निर्देशों को युक्तिसंगत और सुसंगत बनाने के लिए और प्रोत्साहन देने' का प्रस्ताव है। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (**IBC**) **2016** के अनुसार **NCLT** के माध्यम से किए गए समाधान की प्रक्रिया ने पहले ही बैंकों को 'हेयर कट्स' - जो औसतन **50%** से अधिक और कभी-कभी **90**% से भी अधिक होता है - के माध्यम से बकाया ऋणों की भारी भरकम रकम को सरेंडर करने में भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

उपरोक्त ढांचा धोखाधड़ी या विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत देनदारों के संबंध में समझौता निपटान के प्रस्तावों पर बातचीत करने की अनुमति देता है। इरादतन चूककर्ता वे हैं जो ऋण का भुगतान करने की क्षमता रखते हैं लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं, जबकि धोखाधड़ी के रूप में चिन्हित ऋण चूककर्ताओं के बारे में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। अक्सर इन गतिविधियों में बड़ी कॉर्पोरेट संस्थाएँ शामिल होती हैं और हाल के वर्षों में उनकी सूची लंबी हो गई है, जैसा कि राइट-ऑफ की बढ़ती मात्रा से स्पष्ट है।

आरबीआई अब तक बैंकिंग कार्यों की पारदर्शिता और जवाबदेही के बजाय अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा की दलील पर इन चूककर्ताओं की पहचान की रक्षा करता रहा है। यह ढांचा यह भी प्रस्तावित करता है कि समझौता निपटान के तहत आने वाले चूककर्ताओं को ऐसे समझौते और राइट-ऑफ के **12** महीने या उससे अधिक की अवधि के बाद नए ऋण दिए जा सकते हैं।

बीईएफआई आरबीआई द्वारा जारी किए गए इस नीतिगत ढांचे की निंदा करता है, क्योंकि हमारा मानना है कि यह कॉर्पोरेट संस्थाओं के एक वर्ग द्वारा सार्वजनिक धन की लूट को जारी रखेगा। हम स्पष्ट रूप से घोषित नीतिगत ढांचे को तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं। हम अपने राज्य संघों से आह्वान करते हैं कि वे **21** जून **2023** को आरबीआई कार्यालयों के सामने या राज्यों की राजधानियों में प्रमुख स्थानों पर हमारे सदस्यों को लामबंद करके आम लोगों को इन परिस्थितिओं के बारे में जागरूक करने तथा ऐसी लूट के खिलाफ तख्तियां / बैनर प्रदर्शित करके विरोध प्रदर्शन करें।

अभिवादन के साथ,

देबाशीष बासु चौधरी

(देबाशीष बसु चौधरी)
महासचिव